संस्थानों के लिए उपरिहार्य रूप से अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसानों को दिए जा रहे मुआवजे की अपर्याप्तता को लेकर किसानों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है; और

(ग) इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा तय किए गए मुआवजे की धनराशि पर रक्षा मंत्रालय के सहमत न होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) इंदौर जिले में बीरछा एवं हेमा में फील्ड फायरिंग रेंजों के लिए लगभग 5652 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन कलक्टर करता है। भूमि अर्जन कलक्टर ने इस संबंध में दो निर्णय लिए थे। इनमें से एक दो गांवों के लिए था और दूसरा सात गांवो के लिए था। दो गांवों के लिए दिए गए निर्णय का स्वीकार कर लिया गया है। सात गांवों के लिए दिए गए निर्णय का स्वीकार नही किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा निर्धारित दरों और रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा सिविल राजस्व प्राधिकारियों से एकत्र किए गए इसी प्रकार की भूमि की बिक्री संबंधी आंकड़ों के बीच काफी अधिक अन्तर है।

न्यायालय अवमानना कानून को संशोधित किया जाना

1475. **श्री अजीत जोगी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायालय के अवमानना संबंधी वर्तमान कानूनों का संशोधित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान कानून को उचित मानती है जिसके अन्तर्गत मानहानि के प्रकरणों में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सही तथ्य भी बचाव का उचित आधार नहीं माने जाते है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 14, 14(2) और धारा 19 में अवमाननकर्ता के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का उपबन्ध है अत: सरकार विद्यमान विधि को न्यायोचित मानती है।

Setting up of multi-member Election Commission

1476. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal from political parties regarding the setting up of multi-member Election Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ): (a) to (c) Some political parties have been giving expression to a suggestion that the Election Commission should be a multi-member body. The suggestions have appeared in the Press and Government's attention has also been drawn thereto. It is also a fact that such a proposal is under consideration of the Government as part of the proposals for electoral reforms formulated by the Election Commission. No final decision has been taken so far.